न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा राज.

रेवेन्यु प्रकरण सख्या :– 11 / 20
न्यू प्रकरण संख्या :– 124 / 21
रज्जू दिनांक :– 01.01.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री मोहर सिंह मीना (आर.ए.एस.)

1. रेवड
2. राधेश्याम } पि0 रामसहाय
3. शान्ति देवी पत्नि रामसहाय

} जाति गुर्जर निवासी रामसिंहपुरा तह0 लालसोट जिला दौसा राजस्थान

(वादीगण)

बनाम्

1. कैलाशी पत्नी रामजीलाल
2. रामपति पत्नी रामकरण
3. रामकरण पुत्र जमनालाल

} जाति गुर्जर निवासी रामसिंहपुरा तह0 लालसोट जिला दौसा राजस्थान

4. पंजाब नेशनल बैक शाखा संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 06-06-2022

उपस्थित :– वादीगण की ओर से श्री राकेश कुमार शर्मा (अधिवक्ता)
प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री चन्द्रभान सिंह (अधिवक्ता)
प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री कमलेश कुमार सैनी द्वितीय (अधिवक्ता)
प्रतिवादी संख्या 4 की एकतरफा कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार

निर्णय

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 रा0का0 अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 157 / 123 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम गोकुलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसमें वादीगण हिस्सा 187 / 203 के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड सह– खातेदार काबिज काश्तकार है। आराजी वादग्रस्त कानून अविभाजित भूमि है किन्तु पक्षकारान् मौके पर बहामी तौर पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं अपने–अपने हिस्से का लगान सरकारी अदा कर रहे है। वादीगण के हिस्सा 187 / 203 की आराजी वादग्रस्त पूर्व में उबड– खाबड थी जिसे वादीगण द्वारा लाखों रूपये खर्च कर समतल एवं उपजाउ बनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आराजी वादग्रस्त के मौके पर मौजूद विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज न होने से, वादीगण के कब्जे काश्त में दखल–अंदाजी करतें है तथा आराजी वादग्रस्त के खसरा नम्बर 157 / 123 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम गोकुलपुरा जो मौके पर बहामी तौर पर किये गये विभाजन में वादीगण के हिस्से में है, जिससे प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करना चाहते है। जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई हक – अधिकार हासिल नही है। वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955 पेश कर आराजी खसरा नम्बर 157/123 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम गोकुलपुरा तहसील लालसोट का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड मौके पर कब्जे अनुसार किया जाकर लगान पृथक – पृथक निर्धारण करने एवं तदुनुसार अलग – अलग खाते कायम किये जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे–काश्त में रूकावट एवं बाधा उत्पन्न न करने एवं करवाने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन किया है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। दिनाक 27.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अन्डरटेकिंग अधिवक्ता श्री चन्द्रभान सिंह द्वारा दी गई जवाब व अभिभाषक पत्र पेश नही किया गया । आदेशिका दिनांक 30.09.20 के अनुसार प्रतिवादी संख्या – 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही आया इस कारण उसके विरूद्ध एक – तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बन्द किया गया एवमं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश सैनी–2 हाजिर आये वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली बहस हेत नियत की जाकर दिनांक 19.11.2020 को वाद वादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वास्ते कुर्रेजात तहसीलदार लालसोट को निदेर्शित किया गया। तदुपरान्त पत्रावली विचारणीय न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दिनांक 25.02.2021 को तहसीलदार लालसोट से विवादग्रस्त आराजीयात् के कुर्रेजात प्राप्त हुए जिनका आदेशिका दिनांक 31.03.2021 में अंकन किया गया । पत्रावली वास्ते आपत्ति कुर्रेजात में रखी गई।

दिनांक 31.03.21 से दिनांक 14.07.21 तक प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति पेश नही की गई आपत्ति दर्ज करवाने हेतु दिनांक 14.07.2021 को कुर्रेजात आपत्ति हेतु अन्तिम अवसर दिया गया तथा इस आशय की हिदायत दी गई की कुर्रेजात बाबत् आपत्ति दर्ज नही की जाती है तो वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावेगा। किन्तु आज दिन तक भी कुर्रेजात बाबत् कोई आपत्ति पेश नही की है। जिस पर वकिल वादी को सुना गया वकील वादी ने निवेदन किया की विवादग्रस्त आराजी के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा वादी के वाद पत्र के समर्थन में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है एवं तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात पर आज दिन तक कोई आपत्ति किसी भी पक्षकार द्वारा दर्ज नही करायी गयी है एवं वकिल वादी ने तर्क दिया की कुर्रेजात आपत्ति हेतु न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगणों को अनेको बार अवसर दिये जा चुके है। कुर्रेजात को माननीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त हुये 01 वर्ष से भी अधिक का समय गुजर चुका है परन्तु आदिनांक तक प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अतः मुताबिक कुर्रेजात वादग्रस्त आराजी का विधिवत् विभाजन किया जाकर वादी का वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया तथा बहस वकील वादी पर गौर फरमाया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी ख0नं0 157/123 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम गोकुलपुरा त0 लालसोट के सह– खातेदार है। वाद वादीगण दिनांक 19.11.2020 को प्राथमिक रूप से डिक्री होकर मुताबिक डिक्री तहसीलदार लालसोट से राज0 का0 अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 में नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रेजात प्राप्त हो गये हैं । प्राप्त कुर्रेजात पर उभयपक्षो के अधिवक्ताओं के द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं या अभिभाषक द्वारा कोई आक्षेप या आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा निम्नानुसार वादग्रस्त आराजीयात् का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है : –

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

क्र0सं	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान	पासा
1	रेवड , राधेश्याम पि0 रामसहाय , शान्ति देवी पत्नि रामसहाय जाति गुर्जर निवासी सा0 रामसिंहपुरा खातेदार	157 / 123 मि0	9.07	चाही 2 = 1.13 बा0 2 = 4 बजंड 2 = 3.14	9.27 3.44 0.59 13.30	पूर्वी
2	रामकरण पुत्र धन्नालाल हिस्सा 1 / 2 राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा संवासा मुर्तहीन कैलाशी पत्नि रामजीलाल हिस्सा 1 / 4 रामपति पत्नि रामकरण हिस्सा 1 / 4 जाति गुर्जर सा0 रामसिंहपुरा खातेदार	157 / 123 मि0	0.16	बजंड 2 = 0.16	0.13	पश्चिमी

आराजी खं नं0 157 / 123 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम गोकुलपुरा तह0 लालसोट का मुताबिक कुर्रेजात विभाजन स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार अलग–अलग खाते कायम किये जाकर लगान सरकारी का निर्धारण किया जाता है। प्रस्तुत कुर्रेजात, निर्णय एवं डिक्री का पार्ट रहेगें। तहसीलदार लालसोट को निर्णय व डिक्री की प्रति भिजवायी जाकर निर्णयानुसार विभाजन करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक ...06-06-2022... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । कुर्रेजात की एक प्रति मय नक्शा ट्रेस प्रत्रावली में संलग्न रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(मोहर सिंह मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
लालसोट

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला दौसा (राज0)

6/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उप०
प्रकाशित इश्तहार बाबत इश्तहार पर कोई आपत्ति पेश
नहीं की गई है। वकील वादी की बहस सुनी
गई। बाद मनन मुताबिक इश्तहार
आदेश अलग से जारी किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया
जाकर शामिल मिसल किया गया।
पत्रावली फैसल-शुमार होकर नम्बर
से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)